

Form No-111

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

अज अदालत

सुखविन्द सिन्हा

बनाम

सरकार

नम्बर

273 सन् 2021

किस्म मुकदमा 136 एल आर एक्ट

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

08.11.2021

तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार सुखविन्द सिन्हा
रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/762-90
दिनांक 08.11.21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सुखविन्द सिन्हा
में प्रार्थी के नाम चक 14 M.L की जमाबंदी सम्बत्
2074-77 के खाता सं 80 में
सुखविन्द सिन्हा कोर्ट सिन्हा

के स्थान पर सुखविन्द सिन्हा कोर्ट सिन्हा

की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी हैं।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प
कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार
दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति
जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब
तहसीलदार सुखविन्द सिन्हा रायसिंहनगर की अनुशंषा
के आधार पर वाके चक 14 M.L तहसील
रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् 2074-77
के खाता सं 80 में

सुखविन्द सिन्हा कोर्ट सिन्हा
के स्थान पर सुखविन्द सिन्हा कोर्ट सिन्हा

की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

